

3.07.25

आज पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तशोधक सम्मेलन पखवाडा 2025, कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नेतेवाला में प्रार्थी लाल चन्द पुत्र खीया राम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी चक 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 247/170, जमाबंदी चक 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 169/106, जमाबंदी चक 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 168/105, प्रार्थी लालचन्द पुत्र खीयाराम के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी लालचन्द पुत्र खीयाराम के निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं पटवारी हलका द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अनुशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 247/170 में लाला राम पुत्र खीयाराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र खीयाराम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदशमद करे।

निर्णय कैम्प कोट ग्रा. पंचायत लठावाली में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

*Car*